भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 507148

न्यास पत्रक

न्यास का नाम – काव्या फाउनडेशन

न्यास का प्रधान कार्यालय – ग्राम– छतिरवा पुरे मिझौली, पोस्ट– पौरा (मोतीनगर) जिला–अयोध्या।

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष

मूल्यांकन ट्रस्ट डीड – रूपया 10000/– मात्र स्टाम्प

व्यय डॉ0 कंचन वर्मा पुत्री श्री मनीराम वर्मा उम्र 33 वर्ष निवासी – छतिरवा पुरे मिझौली, पोस्ट–पौरा (मोतीनगर), जिला–अयोध्या ट्रस्टी संख्या–1

बैजनाथ वर्मा पुत्र श्री स्व0 बाल गोविन्द वर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी – छतिरवा पुरे मिझौली, पोस्ट–पौरा (मोतीनगर), जिला–अयोध्या ट्रस्टी संख्या–2

रामकृपाल वर्मा पुत्र श्री स्व0 रामलखन वर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी–ग्राम भूपतिपुर, पोस्ट मोतीनगर जिला–अयोध्या ट्रस्टी संख्या–3

इस ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष है जो सभी फैजाबाद (उ0प्र0) के मूल निवासी है तथा अपने माता–पिता मित्रों और परिवार के सर्वसम्मत से एक धर्मार्थ पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट का गठन करना चाहता है ताकि समाज में इस ट्रस्ट के द्वारा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस न्यास का नाम सर्वसम्मत से काव्या फाउनडेशन रखा गया है उक्त ट्रस्ट का कार्य सम्पूर्ण भारत में होगा ताकि समाज मे अच्छे वातावरण मे शिक्षा जगत मे प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य किया जा सके अतएव मिनमुकिरान जो इस ट्रस्ट की कमेटी में क्रमशः अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे ट्रस्टी का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है।

नाम	पता	पद
1. डॉ0 कंचन वर्मा	ग्राम–छतिरवा पुरे मिझौली, पोस्ट पौरा	प्रमुख–न्यासी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 507089

(मोतीनगर) जिला–अयोध्या।

2. बैजनाथ वर्मा	ग्राम–छतिरवा पूरे मिश्रौली, पोस्ट पौरा (मोतीनगर) जिला–अयोध्या।	स्थायी कोषाध्यक्ष
3. रामकृपाल वर्मा	ग्राम–भूपतिपुर, पोस्ट मोतीनगर जिला–अयोध्या।	स्थायी सचिव

इस प्रकार उक्त ट्रस्ट में उपरोक्त तीन स्थायी सदस्य होंगे जो बहुमत रूप में कार्य भारतीय संवैधानिक विधिक प्रक्रिया के तहत करेंगे।

ट्रस्ट फण्ड

श्रीमती कंचन वर्मा पुत्री श्री मनीराम वर्मा ने इस ट्रस्ट के लिए नगद धनराशि 10000 रू० (दस हजार रुपये) ट्रस्टी गणों को सौंप दी गई है जो कि ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी भी बैंक में जमा किया जा सकता है। ट्रस्ट गणों को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति जनप्रतिनिधि, संसद सदस्य, राज्य सभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संस्था फर्म सरकार अथवा अन्य किसी भी नगद या चल या अचल सम्पत्ति के रूप में किसी अन्य रूप में दान प्राप्त कर सकते हैं। ट्रस्टी गण को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य स्त्रोतों से धन जुटाने का भी अधिकार होगा एवं बैंक, व्यक्ति, सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य स्त्रोतों से ऋण लेने का भी अधिकार होगा। इस ऋण पर मुनासिब दरों से ब्याज का भुगतान भी किया जा सकेगा।

कंचन वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 594530

ट्रस्ट का उद्देश्य

1. नागरिकों में देश भक्ति, राष्ट्रीय हित में कर्तव्य पालन की भावना विकसित करना एवं उनके नैतिक एवं चारित्रिक उन्नयन तथा बहुमुखी विकास हेतु सतत प्रयास करते रहना।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, विकलांग संस्थाओं, मूक व बधिर हेतु शिक्षा संस्थाओं, विधिक शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं एवं इन्जीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, प्रबन्ध, विज्ञान, कृषि एवं ग्रामीण विकास आदि से सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
3. ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार पूरक प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना एवं स्थापना हेतु सहयोग एवं मार्ग दर्शन करना उत्पाद की स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने विपणन हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करना।
4. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, बाल विकास, महिला विकास एवं वृद्ध के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
5. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के शैक्षिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक उन्नयन हेतु पुस्तकालय, वाचनालयों, धर्मशालाओं, सामुदायिक केन्द्र तथा वृद्ध आश्रम की स्थापना एवं संचालन करना।
6. ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, छात्राओं हेतु शहर व कस्बों में छात्रावासों की स्थापना व संचालन करना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु शहर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 594531

एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित एवं संचालित करना तथा गरीब छात्र/छात्राओं को शिक्षा व्यय में सहयोग व छात्रवृत्ति प्रदान करना।

7. विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सौहार्द की भावना विकसित करने तथा धार्मिक नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा के प्रसार हेतु गोष्ठियों, सेमिनार व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।

8. कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करना।

9. उपरोक्त समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम दानकर्ताओं तथा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिफसा, सीफ इण्डिया, हेल्पेकाज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केन्द्र खादी वन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण एवं अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

10. यह संस्थान समाज सेवी गैर सरकारी संगठन होगा तथा संस्थान की विभिन्न इकाइयों व कार्यक्रमों का प्रबन्ध एवं संचालन ट्रस्ट के नियमावली के अनुसार होगा जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

11. अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन, सम्पत्ति, भूमि, भवन, वाहन अन्य कीमती पदार्थ तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना उनके अधिकार अर्जित करना उनको धारण करना सुरक्षित रखना उनका विनिधान करना।

कंचन वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 594532

12 गरीबों एवं असहायों की सहायता करना, समाजसेवा से सम्बन्धित समस्त कार्यों तथा दलित, पिछड़ा वर्ग कल्याण एड्स व अन्य घातक बिमारियों हेतु जागरूकता अभियान, महिला उत्थान, विकलांग, मूक/बधिर, वृद्ध सेवार्थ, बाढ़, वृद्ध सेवार्थ, बाढ़, सूखा सहित सभी प्राकृतिक आपदा सम्बन्धी अभियान व मानवाधिकार से सम्बन्धी कार्यों को करना भी इस न्यास का उद्देश्य है।

ट्रस्ट के खातों का लेखा जोखा एवं उनका पर्यवेक्षण

ट्रस्ट के सभी खाते ट्रस्ट के मुख्यालय में रखे जायेंगे। ट्रस्ट का लेखा वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगा ट्रस्ट के सभी खातों का पर्यवेक्षण प्रत्येक वर्ष किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्टी का विवरण

मैं डॉ० कंचन वर्मा आध्या फाउन्डेशन का संस्थापक/अध्यक्ष/मुख्य न्यासी आजीवन रहूँगी। जब तक किसी रोग या मृत्यु से इस न्यास के कार्य निर्वाह में असमर्थ ना हो जाऊ। इस सेवा के कार्य के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता एवं सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं। उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी रहेंगे जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से न्यास कार्य निर्वाह में असमर्थ ना हो जाए या सहयोग देना स्वेच्छा से बन्द न कर दें। यदि किसी स्थायी न्यासी बीमार, मृत्यु एवं किसी अन्य कारण वश ट्रस्ट के कार्य में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में वे सदस्य अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को न्यासी मनोनीत करने का अधिकार होगा परन्तु यह ब्लड रिलेशन का होना चाहिए मनोनीत नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा यदि किसी न्यासी ने ऐसा नहीं किया तो शेष बचे न्यासीगण सर्वसम्मत या बहुमत के निर्णय से अपने में से किसी भी न्यासी को उक्त रिक्त पदों का पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रमुख न्यासी अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद उक्त पदों पर पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्रों में

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 594533

ज्येष्ठ पुत्र ही अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के रूप में नामित होंगें। ज्येष्ठ पुत्र के किसी कारण वश न होने की स्थिति में अन्य अनुज पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्रों को उक्त पद हेतु नामित किया जायेगा यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इस स्थिति में मुख्य ट्रस्टी गण का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

इस ट्रस्ट के स्थाई न्यासी के नाम व पते निम्नलिखित है–

नाम	पता	पद
1. डा/ कंचन वर्मा	ग्राम–छतिरवा पूरे मिझौली पोस्ट पौवा (मोतीनगर) जिला–अयोध्या।	प्रमुख–न्यासी अध्यक्ष
2. बैजनाथ वर्मा	ग्राम–छतिरवा पूरे मिझौली पोस्ट पौवा (मोतीनगर) जिला–अयोध्या।	स्थायी कोषाध्यक्ष
3. रामप्रकाश वर्मा	ग्राम–भूपति पोस्ट मोतीनगर जिला–अयोध्या।	स्थायी सचिव

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगणों की नियुक्ति

इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्ति सभी न्यासीगण इस न्यास के स्थायी न्यासी होंगे उन्हें अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा लेकिन वह अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर नामित या मनोनीत करा सकेगें। यदि ऐसा नहीं करते है तो किसी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर शेष बचे न्यासी गण मृतक न्यासी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नियुक्त भविष्य में कर सकेगें। सभी न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि अध्यक्ष के परिवार के हो तथा उक्त कार्य प्रयोजनों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हितकर होगा यदि सभी स्थायी सदस्यों के सलाह एवं निर्णय में अन्तर रहता है तो इस स्थिति में मुख्य ट्रस्टी या अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

कंचन वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 594534

ट्रस्ट के विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति

अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति इस ट्रस्ट के स्थायी सदस्यों के द्वारा अधिकतम 8 सदस्य नामित किये जायेगें। जिनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रमुख ट्रस्टीगण स्थायी सदस्यों की इच्छा से पुनः नामित किया जा सकेगा। किसी प्रकार का मतभेद होता है तो मुख्य ट्रस्टी या अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के न्यासीगणों की सदस्यता समाप्ति

न्यास के न्यासीगण की सदस्यता समाप्त हो जायेगी उनके त्यागपत्र देने पर मृत्यु होने पर ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, अन्य परिस्थितियों मे ट्रस्ट के तीनों स्थायी सदस्यों का बहुमत से लिया गया निर्णय अन्य प्रमुख ट्रस्टीगण के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह कि इस न्यास (ट्रस्ट) का विवाद न्यायालय मे या अन्यत्र नहीं जायेगा। यदि भविष्य मे कोई विशेष न्यासी या सदस्य किसी विवाद को न्यायालय मे या अन्यत्र दाखिल करेगा तो उस विशेष न्यासी या सदस्य के सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ट्रस्ट की बैठक

1. ट्रस्ट की बैठक वर्ष मे एक बार अवश्य होगी। जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर होगी। या इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी जहाँ ट्रस्टीकगण निश्चित करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री द्वारा एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासी गणों को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त हो दी जायेगी।
2. बैठक मे न्यासीगण की गण पूर्ति की संख्या स्थायी न्यासियों की संख्या दो तिहाई आवश्यक होगा। अध्यक्ष को गणपूर्ति के अभाव मे बैठक स्थगित करने

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8OAD 628493

का अधिकार होगा। विशेष ट्रस्टियों को गण पूर्ति में शामिल नहीं किया जायेगा।

3. न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट की आय-व्यय का लेखा जोखा मंत्री द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ट्रस्टियों से पास कराया जायेगा।

4. न्यास के आय व्यय व लेखा के बजट को देखने का अधिकार सभी स्थायी न्यासीगण को होगा।

5. न्यास की बैठक में उपस्थित सभी न्यासीगण के सर्वसम्मति या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेंगे। जो सर्वमान्य होगा। मत विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगा।

6. न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष के अनुमति से मंत्री आहूत करेगा। जिसमें दिनांक समय व स्थान का उल्लेख होगा।

7. न्यास के वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। न्यासीगण अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं लेकिन ऐसा वे केवल तीन बार कर सकते हैं चौथी बैठक में उन्हें स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा। प्रतिनिधि न्यासीगण के परिवार का ही होगा।

8. किसी न्यासी या न्यास के पदाधिकारी के मृत्यु पर या अन्य स्थिति पर उनका स्थान रिक्त होने न्यास के आकस्मिक बैठक पर नये स्थायी न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

9. इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्त तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो स्थायी न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होंगे व अपने पद पर आजीवन बने

लेखराज वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BOAD 628494

रहेंगे जब तक उपर्युक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जावे।

संस्थापक/अध्यक्ष का अधिकार व कर्तव्य

संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के सभी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण का संचालन का अधिकारी होगा। जिसके आदेशों का पालन करना सभी पदाधिकारी व न्यासीगण को मान्य होगा। अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगा। अध्यक्ष को न्यास की बैठकों में मत विभाजन/समान मत की स्थिति में अपना एक विशेष मत देने का अधिकार होगा जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद में कोई भी कार्य करने में स्वयं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट के हित में अध्यक्ष को वित्तीय लेनदेन का पूर्ण अधिकार होगा।

सचिव के अधिकार व कर्तव्य

मंत्री न्यास द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार एवं रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं व व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा तथा अध्यक्ष के अनुसार न्यास के बैठकों को आहूत करेगा। न्यास की बैठकों में लिये गये आदेशों/निर्देशों का क्रियान्वयन व परिपालन करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री प्रतिनिधि के रूप में पत्र व्यवहार व सरकारी न्यायालयों के कार्यों को करने का अधिकार होगा और संस्था के हित के लिए वे सभी कार्य जो जरूरी व आवश्यक है उनको करना।

कंचन वर्मा

कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8OAD 628495

कोषाध्यक्ष न्यास के सम्पूर्ण आय-व्यय का लेखा जोखा रखेगा तथा उसे न्यास के पदाधिकारियों व न्यासीगण को अवगत करेगा। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से न्यास के खातों का स्टेटमेन्ट एकाउन्ट प्राप्त करेगा।

इस प्रकार न्यास के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन करेंगे तथा न्यास की सारी व्यवस्था देखेंगे।

कर्मचारी हटाने व रखने का अधिकार

न्यासीगण को अपने न्यास के विभिन्न उद्देश्यों/परियोजनों व कार्यों के सम्पादन व संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।

यह कि इस न्यास की सभी संस्था व कार्य योजनाओं एवं कार्यों कलापों से सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें सेवा समाप्त सेवा, विस्तार सेवा, मुक्त पदावनति, निलम्बन तथा पदोन्नति आदि का सभी अधिकार न्यास मण्डल में निहित होगा जिसका उपयोग न्यासीगण उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों को ध्यान में रखकर इस न्यास व संस्था के हित में निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेदभाव व द्वेष भाव से विरत रहकर करेगा और आवश्यकतानुसार उससे सम्बन्धित किसी कार्यकारी विधि का अनुपालन करेंगे और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिए उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी सभी न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे। यदि न्यासियों की राय में मतभेद रहता है तो मुख्य न्यासी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

कंचन वर्मा

न्यास का खाता

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 628496

ट्रस्ट का खाता मुख्य न्यासी द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा बैंक के खाते का संचालन लेने देने मुख्य न्यासी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा अथवा मुख्य न्यासी अध्यक्ष की सहमति/आज्ञा से ट्रस्ट की उचित मोहर एवं हस्ताक्षर से होगा। सचिव एवं कोषाध्यक्ष भी खाते का संचालन कर सकते है किसी भी परिस्थिति में किसी भी न्यासी को अपने नाम सम्पत्ति धन रखने व जमा करने का अधिकार नहीं होगा।

न्यास की आय एवं प्राप्तियों का साधन

उपहार, दान, अनुदान से प्राप्त धनराशि हिबा वसीयतनामा, व अन्य लेख पत्र से प्राप्त चल-अचल सम्पत्तियों या धनराशि न्यास की अपनी सेवाओं या न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से प्राप्त सम्पत्ति न्यास के अपने व्यापार से प्राप्त धनराशि न्यास को अपनी विशेष निधियों रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सभी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी उपरोक्त के अलावा किसी व्यक्ति विशेष गैर सरकारी फाइनेन्स कम्पनी संस्था, ट्रस्ट, एन०जी०ओ० या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्था या अन्य से आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकता है। न्यास हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर न्यास को अपने चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा लेकिन यह फैसला सर्वसम्मति से होगा। यदि इसे सहमति में किसी प्रकार का विवाद या अन्तर पाया जाता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश बैंक डिपाजिट बान्ड्स तथा अन्य प्रतिभूतियों में आवश्यकता पड़ने पर करने का अधिकार होगा तथा न्यास को दूसरी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष को ऋण देने का भी अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 628497

न्यास के नियमावली में संशोधन

न्यास की नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त ट्रस्ट में परिवर्तन करने का अधिकार बहुमत राय से होगा। न्यासीगण अपने बहुमत से विधिक राय लेकर नियमावली में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेंगे। लेकिन न्यास के मूल उद्देश्यों के विपरीत कोई भी संशोधन कभी नहीं किया जावेगा यानि इस ट्रस्ट की मूल आत्मा के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा।

न्यास की संरचना निधि

मैं डॉ० कंचन वर्मा मुख्य न्यासी अध्यक्ष ट्रस्ट कोष में ट्रस्ट स्थापना के लिए राम कृपाल वर्मा पुत्र श्री स्व० रामलखन वर्मा से दस हजार रुपये प्राप्त किये जिससे स्टाम्प शुल्क 900 रू० मात्र अदा किया जा रहा है।

कंचन वर्मा

आवेदन सं०: [illegible]

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ 289 से 312 तक क्रमांक 8 पर दिनांक 22/03/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र [illegible] सिंह
उप निबंधक : [illegible]
[illegible]
22/03/2020

क्रमांक 9691 [illegible]
9680
[illegible] 155
[illegible]
2019 से 2020 [illegible]